न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 166 / 2021	02—11—2021	05.01.2023

1. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर। (राजस्थान) —प्रार्थी

बनाम

1. भगवान सिंह चौहान, प्रतिनिधि मै० अलवर गैस एजेंसी, रामगज अलवर जिला अलवर (राजस्थान) —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 48 गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के कंम में।

उपस्थितः—

1. .... — विभागीय प्रतिनिधि
2. श्री संतोष कुमार बंसल — वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 48 गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी अलवर के आदेश कंमाक रसद / 2021 / अभियोजन / एस.पी—1 दिनाक 30.10.2021 के परिपेक्ष में प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर बहराम हरि प्रसाद प्रवर्तन अधिकारी तिजारा बानसूर थाने में कम गैस होने बाबत शिकायत होने पर डिटेन किए सिलेण्डरो से भरे वाहन की जॉच करने हेतु पहुचे। मौके पर थाना बानसूर में गैस सिलेण्डरो से भरा हुआ ट्रक संख्या आर.जे — 14 जी.जी—5647 जिस पर भारत गैस एजेंसी लिखा हुआ मौजुद मिला। मौके पर अलवर गैस एजेसी अलवर के प्रतिनिधि भगवान सिंह चौहान, गैस एजेसी के इन्चार्ज मिश्री लाल अकाउटेंट, प्रकाश चन्द्र सैनी ट्रक ड्राईवर जगदीश सिंह निवासी विवेकानन्द नगर अलवर, अख्तर खां उर्फ अशरफ खां निवासी केशरपुर और अरशद खां निवासी केसरपुर उपस्थित मिले। मौके पर भगवान सिंह चौहान ने बताया की दिनाक 29.10.2021 को यह ट्रक 200 घरेलू सिलेण्डर लेकर रामपुर, बानसूर पहूँचा। रामपुर में हम घरेलू गैस की आपूर्ति कर रहे थे, इसी दौरान चुनावी माहोल में कुछ शरारती व्यक्तियो ने वहा आकर गैस सिलेण्डरो का कम वजन होने का आरोप लगाते हुए दंगा करना शुरू कर दिया व आपूर्ति को बाधित करने लगे। इसके बाद लगभग सांयः 6.30 बजे बानसूर थाने की पुलिस मौके पर पहुची व सिलेण्डरो से भरे ट्रक को बानसूर थाने में लेकर आ गयी भगवान सिंह ने बताया कि वह

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

लगभग 20–22 वर्षो से गैस एजेन्सी पर कार्य कर रहा है, यह ट्रक प्याला (हरियाणा) प्लांट से इस गाडी में भरकर सीलबंद गैस सिलेण्डर लाये गये है। 121

मौके पर सभी 200 गैस सिलेण्डरो का वजन करने पर इसमें 95 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली पाये गये एवं शेष 105 भरे हुए सीलबंद सिलेण्डरो में से 48 गैस सिलेण्डरो में कम गैस होना पाया गया। जिसके कारण उपभोक्ताओ को निर्धारित मात्रा से कम गैस आपूर्ति किया जाना पाया गया इससे स्पष्ट होता है, कि गैस एजेसी द्वारा उपभोक्ताओ को निर्धारित मात्रा से कम गैस आपूर्ति का कार्य किया गया है, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंधन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, उक्त आदेश का उल्लंधन होने के कारण उपरोक्तानुसार 48 गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा) को जब्त सरकार करते हुए अभिग्रहित किया गया एवं सुरक्षा तथा साक्ष्य की दृष्टि से फर्म मै0 बानसूर इंडेन बानसूर के मैनेजर नसीर अहमद की सुपुर्दगी में दिये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

कम संख्या	तेल कम्पनी का नाम	गैस सिलेण्डर के एस.आर.न0	टेयर वेट (किग्रा में)	ग्रोस वेट (किग्रा में)	नेट वेट (किग्रा में)
1.	बी.पी.सी.एल.	6215255	15.9	29.900	14.000
2.	बी.पी.सी.एल.	031369 टी	15.3	29.900	13.700
3.	बी.पी.सी.एल.	499325 टी	15.5	29.200	13.700
4.	बी.पी.सी.एल.	833027 एस	16.0	29.900	13.900
5.	बी.पी.सी.एल.	317630 एस	15.6	29.100	13.500
6.	बी.पी.सी.एल.	126308 एस	15.5	29.100	13.600
7.	बी.पी.सी.एल.	606237	15.9	29.900	14.000
8.	बी.पी.सी.एल.	971525	15.9	29.900	14.000
9.	बी.पी.सी.एल.	373192 एस	16.0	29.900	13.900
10.	बी.पी.सी.एल.	38053	15.5	29.100	13.600
11.	बी.पी.सी.एल.	5427	16.2	30.100	13.800
12.	बी.पी.सी.एल.	586889 टी	15.6	29.200	13.600
13.	बी.पी.सी.एल.	273652	15.8	29.200	13.400
14.	बी.पी.सी.एल.	3690895	16.0	29.900	13.900
15.	बी.पी.सी.एल.	358385 बी	15.4	29.200	13.800
16.	बी.पी.सी.एल.	944769 एस	15.8	29.300	13.500
17.	बी.पी.सी.एल.	332779 एस	15.3	29.100	13.800
18.	बी.पी.सी.एल.	289582 एस	15.6	29.200	13.600
19.	बी.पी.सी.एल.	312319 एस	15.9	29.900	14.000
20.	बी.पी.सी.एल.	16379 एस	15.7	29.200	13.500
21.	बी.पी.सी.एल.	406704 एस	15.9	29.200	13.300
22.	बी.पी.सी.एल.	176867 एस	15.7	29.100	13.400
23.	बी.पी.सी.एल.	567510 टी	15.9	29.900	14.000
24.	बी.पी.सी.एल.	153843 टी	15.5	29.200	13.700
25.	बी.पी.सी.एल.	397011 एस	16.0	29.900	13.900
26.	बी.पी.सी.एल.	52655	15.4	29.200	13.800
27.	बी.पी.सी.एल.	72343 एस	15.4	29.100	13.700
28.	बी.पी.सी.एल.	409221 टी	15.8	29.300	13.500
29.	बी.पी.सी.एल.	481002	15.7	29.200	13.500

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

121

30.	बी.पी.सी.एल.	342833 एस	16.0	29.900	13.900
31.	बी.पी.सी.एल.	15025	16.4	30.000	13.600
32.	बी.पी.सी.एल.	326058 एस	15.8	29.800	14.000
33.	बी.पी.सी.एल.	97560 एस	15.5	29.300	13.800
34.	बी.पी.सी.एल.	233715 एस	16.3	30.000	13.700
35.	बी.पी.सी.एल.	397791 एस	15.9	29.800	13.900
36.	बी.पी.सी.एल.	258570 एस	15.5	29.200	13.500
37.	बी.पी.सी.एल.	765362 एस	16.1	30.000	13.900
38.	बी.पी.सी.एल.	426638 पी	15.6	29.200	13.600
39.	बी.पी.सी.एल.	016835 टी	15.5	29.200	13.700
40.	बी.पी.सी.एल.	9007519	16.0	29.800	13.800
41.	बी.पी.सी.एल.	47638	16.7	30.000	13.300
42.	बी.पी.सी.एल.	32398 एस	15.4	29.100	13.700
43.	बी.पी.सी.एल.	3026245	15.8	29.500	13.700
44.	बी.पी.सी.एल.	47349 बी	15.4	29.200	13.800
45.	बी.पी.सी.एल.	517181 एस	15.8	29.200	13.400
46.	बी.पी.सी.एल.	791817 बी	15.6	29.200	13.600
47.	बी.पी.सी.एल.	002995 टी	15.5	29.200	13.700
48.	बी.पी.सी.एल.	192830 एस	15.4	29.100	13.700

अप्रार्थी द्वारा जारी नोटिस के जवाब में जरिये अभिभाषक अवगत कराया है कि दिनाक 30.10.2021 को प्रवर्तन अधिकारी, रेखा खीची मय हरि प्रसाद प्रवर्तन अधिकारी तिजारा के बानसूर थाने में पहुचे एवं थाना बानसूर में प्रार्थी एजेन्सी के कर्मचारियो की सूचना पर मुकामी थाना पुलिस द्वारा खडी की गयी गाडी संख्या आर.जे–14/जी.जी–5647 में 200 घरेलू गैस सिलेण्डर थे, जिनमें से 95 गैस सिलेण्डर खाली एवं 105 गैस सिलेण्डर सीलबन्द भरे हुए थे, जिन भरे हुए गैस सिलेण्डर की जॉच रेखा खीची प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा की गयी थी, जिसमें से 48 गैस सिलेण्डरो में से कुछ गैस कम पायी गयी थी, उन 48 घरेलू गैस सिलेण्डरो को जब्त कर अपने कब्जे में लिया जाकर मैसर्स बानसूर गैस इण्डेन के मैनेजर नसीर अहमद को सुपुर्द किये गये थे। तथा गैस एजेन्सी कर्मचारी भगवान सिंह लगभग 20–22 वर्षो से उक्त एजेन्सी में कार्य कर रहा है, एवं उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर हरियाणा प्लान्ट से भरकर आए हुए ट्रक के सिलेण्डरो में से सीधे ही उक्त गाडी में भरकर वितरण हेतु लाए गये थे। वास्तविक सत्य यह है, कि दिनाक 25.10.2021 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र एवं राजस्थान संस्करण में रसोई गैस सिलेण्डर की कीमत में भारी बढोत्तरी होने का समाचार प्रकाशित किया गया था, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओ में कीमत वृद्वि से पूर्व ही गैस सिलेण्डर प्राप्त करने हेतु गैस सिलेण्डरो की भारी मात्रा में बुकिंग कराई गयी थी, एवं मिन अप्रार्थी अलवर गैस एजेन्सी में बुकिंग के अनुसार गोदाम में सिलेण्डरो का स्टॉक उपलब्ध नही था, जिस कारण भारत गैस भराई संयत्र प्याला जिला फरीदाबाद (हरियाणा) से ट्रक संख्या आर.जे–02/जी.बी.–0177 में दिनाक 29.10.2021 को गैस के सिलेण्डर भरकर आए थे, जिन गैस सिलेण्डरो को उसी दिन दिनाक 29.10.2021 को उपखण्ड बानसूर एवं समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रो में गैस सिलेण्डर आपूर्ति हेतु अपने पंजीकृत उपभोक्ताओ को भेजा जाना था। जिस कारण भारत गैस भराई केन्द्र से आए हुए ट्रक के गैस सिलेण्डरो को तोल कर गोदाम में रखने की बजाय समय अभाव होने के कारण सीधे ही गाडी संख्या आर.जे–14/जी.जी–5647 में भरकार प्रार्थना पत्र में अंकित व्यक्ति वितरण हेतु रवाना हो गये तथा वाके ग्राम रामपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

तहसील बानसूर में पहुच कर अपने पंजीकृत उपभोक्ता जिनके द्वारा गैस सिलेण्डरो
हेतु बुकिंग करवाई हुई थी, उन्हे गैस सिलेण्डरो को मौके पर ही तोल कर नियमानुसार बनने वाली सही तोल/वजन के गैस सिलेण्डर दिए जा रहे थे। तथा जिस/गैस सिलेण्डर में निर्धारित मात्रा से कम गैस थी, उन्हे एक तरफ रखा जा रहा था। इस प्रकार मिन अप्रार्थी गैस एजेन्सी के कर्मचारियो द्वारा 95 गैस सिलेण्डर सही तोल/वजन के गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओ को वितरित कर दिये गये थे। इसी दौरान जिन उपभोक्ताओ द्वारा गैस सिलेण्डर की बुकिंग नही करवाई हुई थी एवं जो व्यक्ति अवैध रूप से गैस सिलेण्डर लेना चाहते थे, उन व्यक्तियो को मिन अप्रार्थी गैस एजेन्सी के कर्मचारियो द्वारा गैस सिलेण्डर देने से मना करने पर उनके द्वारा मौके पर हंगामा/उपद्रव पैदा कर दिया एवं मिन अप्रार्थी एजेन्सी के कर्मचारियो के साथ लडाई–झगडा कर हंगामा करने लगे जिस पर मिन अप्रार्थी के कर्मचारियो द्वारा मुकामी पुलिस थाना बानसूर को सूचित किया गया जिस पर उनके द्वारा अपने आप को बचाने के उद्वेश्य से मुकामी पुलिस के समक्ष इस बात की जानकारी होने के बावजुद भी कि मिन अप्रार्थी गैस एजेन्सी के कर्मचारियो द्वारा गैस सिलेण्डरो को मशीन से वजह कर रही सही वजन के सिलेण्डर दिये जा रहे है, एवं कम वजन के सिलेण्डरो को एक तरफ अपनी गाडी में रखे जा रहे है, का गलत फायदा उठाते हुए एवं ग्राम पंचायत चुनाव होने के माहौल का नाजायज फायदा उठाते हुए झूठी शिकायत मुकामी थाना पुलिस से मिन प्रार्थी द्वारा बुलाई गयी पुलिस से अपने आपको बचाने के उद्वेश्य से की गयी जबकि मिन प्रार्थी द्वारा पुलिस को वास्तविक परिस्थिति के बारे में अवगत करवा दिया गया था। उसके बावजुद भी मुकाम पुलिस थाना द्वारा मिन प्रार्थी से अवैध मांग की गयी जिसकी पूर्ति मिन प्रार्थी द्वारा नही किये जाने पर मुकामी पुलिस थाना प्रवर्तन अधिकारी रेखा खीची को सूचना दी जाकर बुलाया गया जिनको भी मिन अप्रार्थी गैस एजेन्सी के कर्मचारियो द्वारा गैस सिलेण्डर जो हमारे द्वारा तोलकर कम वनज होने के कारण अलग रखे गये थे, एवं जिनके सम्बंध में मौके पर ही अवगत करवा दिया गया था उसके बावजुद भी उक्त सिलेण्डरो को प्रार्थीया द्वारा अपना प्रकरण बनाने के उद्वेश्य से दिनाक 30.10.2021 को गैस सिलेण्डरो को जब्त कर अस्थाई सुपुर्दगी मैसर्स बानसूर इंडेन के मैनेजर नसीर अहमद को दी गयी है। जबकि मौके पर जो गैस सिलेण्डर वितरित किये गये थे, वो सभी नियमानुसार सही मात्रा एवं वजन के मौके पर तौल कर ही वितरित किये गये थे। किसी भी उपभोक्ताओ को त्रुटिपूर्ण गैस सिलेण्डर वितरित नही किये गये थे, न ही किसी भी नियम एवं अधिनियम का उल्लंधन नही किया गया है। ऐसी स्थिति में मिन अप्रार्थी गैस एजेन्सी के 48 गैस सिलेण्डरो को राजसात किया गया कानूनन न्यायहित में न्यायोचित व न्याय संगत नही है। साथ ही निवेदन किया है, कि प्रार्थना पत्र 6 ए खारिज किया जाकर मिन अप्रार्थी गैस एजेन्सी को जब्त शुदा 48 घरेलू गैस सिलेण्डर एजेन्सी को सुपुर्द किये जावे।

विभागीय प्रतिनिधि/अप्रार्थी विद्वान वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित तथ्यो से जाहिर है, कि मौके पर सभी 200 गैस सिलेण्डरो का वजन करने पर इसमें 95 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली पाये गये एवं शेष 105 भरे हुए सीलबंद सिलेण्डरो में से 48 गैस सिलेण्डरो में कम गैस होना पाया गया जिसके कारण उपभोक्ताओ को निर्धारित मात्रा से कम गैस आपूर्ति किया जाना पाया गया इससे स्पष्ट होता है, कि गैस एजेसी द्वारा उपभोक्ताओ को निर्धारित मात्रा से कम गैस आपूर्ति का कार्य किया गया है, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंधन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध अप्रार्थी द्वारा स्वयः स्वीकार किया है, कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर हरियाणा प्लान्ट से भरकर आए हुए ट्रक से सीधे ही उक्त गाडी में भरकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

वितरण हेतु लाए गये थे। जबकि यह गैस एजेसी का दायित्व है, कि गैस सिलेण्डरो की भली–भाति जॉच करने के उपरान्त ही उपभोक्ताओ को गैस सिलेण्डर वितरित की जानी चाहिये थी, गैस एजेसी द्वारा अनियमिता बरतने के कारण विधिवत जॉच कर 48 गैस सिलेण्डरो (क्षमता 14.2 किग्रा) में कम गैस पाये जाने पर जब्त सरकार करते हुए अभिग्रहित किया गया एवं सुरक्षा तथा साक्ष्य की दृष्टि से फर्म मै0 बानसूर इंडेन बानसूर के मैनेजर नसीर अहमद की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जप्तशुदा 48 गैस सिलेण्डरो (क्षमता 14.2 किग्रा) को राजसात किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 48 गैस सिलेण्डरो (क्षमता 14.2 किग्रा) को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है, कि जप्तशुदा 48 गैस सिलेण्डरो (क्षमता 14.2 किग्रा) सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करे। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.)
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)